न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान अमीलाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या – 307/2025

निर्णय दिनांक 30/07/2025

अमीलाल पुत्र टीकू राम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं. 02 तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि रोही मौजा बालिया पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 4 खसरा सं. 37 तादादी 7.6123 हैक्ट में इमीलाल पुत्र टीकूराम है व अन्य दस्तावेजों में नाम अमीलाल पुत्र टीकू राम है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इमीलाल पुत्र टीकूराम के स्थान पर अमीलाल पुत्र टीकू राम अंकित किये जाने की कृपा करावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार तारानगर की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के दस्तावेजों में प्रार्थी अमीलाल पुत्र टीकू राम का सही नाम अमीलाल पुत्र टीकू राम है। अतः ग्राम बालिया की उक्त जमाबंदी खाता संख्या 4 में इमीलाल पुत्र टीकूराम की बजाय अमीलाल पुत्र टीकू राम नाम किया जाना उचित है क्योंकि इमीलाल पुत्र टीकूराम व अमीलाल पुत्र टीकू राम एक ही व्यक्ति है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इमीलाल पुत्र टीकूराम जाति जांगिड़ दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजों में अमीलाल पुत्र टीकू राम जाति जांगिड़ दर्ज है अतः उक्त खातेदारी में इमीलाल पुत्र टीकूराम के स्थान पर अमीलाल पुत्र टीकू राम किया जाना उचित है अंकित किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम अमीलाल पुत्र टीकू राम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम इमीलाल पुत्र टीकूराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा बालिया पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 4 खसरा सं. 37 तादादी 7.6123 हैक्ट के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम इमीलाल पुत्र टीकूराम **Delete** कर इसके स्थान पर अमीलाल पुत्र टीकू राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/07/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)